



श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय

जोबनेर 303329, जिला जयपुर (राजस्थान)

फोन नं. 01425-254022(का.), 01425-254022 (फैक्स)

E-mail Id : dean.skncoa@sknau.ac.in

डॉ. एम.आर.चौधरी

अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष

क्रमांक : एफ.() / श्रीकनकृमवि / निविदा / फार्म / 2025-26 / 1085

दिनांक : 27.8.2025

खुली निविदा सूचना

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के निर्देशात्मक फार्म के अन्तर्गत निम्नांकित उपकरणों की आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित कम्पनी/अनुभवी फर्मों/ अधिकृत व्यापारियों से मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती है :-

क्र.सं.	उपकरण/सामग्री	अनुमानित मात्रा	अनुमानित मूल्य (₹)	बोली प्रतिभूति (Bid security) (₹)	SSI unit के लिए Bid security (₹)	निविदा शुल्क (₹)
1	Tractor trolley	2	4,50,000	9000/-	2250	500/-
2	Tractor mounted power sprayer	1	50,000	1000	250	

निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु निर्धारित निविदा शुल्क (Tender Fee) एवं बोली प्रतिभूति (Bid security) राशि का अलग- अलग डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक, अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) (Dean, S.K.N. College of Agriculture, Jobner) के पक्ष में बनवाकर दिनांक 3 सितम्बर 2025 को दोपहर 01.00 बजे तक अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) से निविदा प्रपत्र प्राप्त कर अथवा www.sknau.ac.in अथवा www.sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करके दिनांक 3 सितम्बर 2025 को अपराह्न 1.30 PM बजे तक अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के कार्यालय में जमा कराए जा सकते हैं। प्राप्त निविदाएँ उपस्थित निविदादाताओं/अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक 3 सितम्बर 2025 को अपराह्न 03.00 बजे खोली जाएगी।

निविदा को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताए स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) को होगा।

अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
2. श्रीमान वित्त नियंत्रक श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर लेख है कि आप स्वयं अथवा अपने नामित सदस्य को भेजने का श्रम कराएँ।
3. श्रीमान कोषाधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
4. कमेटी संयोजक/सदस्य/लेखाशाखा/.....
5. प्रभारी, सिमका श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय वेबसाइट www.sknau.ac.in व <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।
6. समस्त सूचना पट्ट।
7. रक्षित फाइल

(डॉ. एल.आर.यादव)
प्रभारी अधिकारी फार्म



श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय

जोबनेर 303329, जिला जयपुर (राजस्थान)

email ID:- dean.skncoa@sknau.ac.in

क्रमांक : एफ ()/श्री कनकूमवि/निविदा /फार्म 2025/.....

दिनांक :

जमा कराने की अंतिम तिथि - 3 सितम्बर 2025 समय:- 1.30 PM

बोली प्रतिभूति (Bid security) बोली प्रतिभूति राशी 2%

तकनीकी निविदा प्रपत्र " अ "

Tractor trolley and Tractor mounted power sprayer की आपूर्ति हेतु बिड प्रपत्र

1. **Tractor trolley and Tractor mounted power sprayer की आपूर्ति हेतु बिड**
2. बिड प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम,
डाक का पता, टेलीफोन न० एवं GSTIN
3. सम्पर्क कार्यालय का पता
4. किसको संबोधित किया गया - अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर (जयपुर)
5. बिड सूचना संदर्भ दिनांक.....
6. निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के पक्ष में बैंकर चेक / डी डी जमा करा दी गयी है रसीद संख्या...../DD/Banker
Cheque No.राशि..... दिनांक.....
7. हम, अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) द्वारा जारी की गई बिड सूचना संख्यादिनांक..... में वर्णित शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त बिड सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं)।
8. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न वित्तीय बिड प्रपत्र " अ " - FB में दर्शाई गई दरें एवं पृथक से कर सहित अंकित करें। अलग से दरे अंकित करने पर बिड निरस्त कर दी जाएगी। दरें शब्दों एवं अंको में दी जाएगी। वित्तीय निविदा प्रपत्र पृथक सीलबंद लिफाफे में रखी जाएगी।
9. निविदा सूचना में अंकित राशी 2 % बोली प्रतिभूति (बिड सिक्यूरिटी) के रूप में अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के पक्ष में बैंकर चेक / बैंक ड्राफ्ट निविदा प्रपत्र के साथ

संलग्न है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :

क्र.सं.

विवरण

राशी (रु.)

10. बिड फार्म के साथ GST पंजीकरण पत्र संलग्न है।
11. विनिर्माता/डीलर/अधिकृत विक्रेता आदि का घोषणा पत्र स संलग्न है।
12. बिड फार्म के साथ गत तीन वर्षों में ब्लैक लिस्ट नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रपत्र 'द' संलग्न है।
13. बिड फार्म के साथ Fall Clause प्रमाण पत्र प्रपत्र 'य' संलग्न है।
14. बिडदाता का पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24, 2024 -25 ,) वर्षों का औसत टर्न ओवर ₹ 6.00 लाख से कम नहीं होना चाहिए। इस हेतु बिडदाता को तीन वर्ष की बैलेन्स शीट या प्रपत्र 'व' (सी. ए. द्वारा प्रमाणित किया हुआ) जमा कराना होगा।
15. आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई **Tractor trolley and Tractor mounted power sprayer** की गारण्टी 3 वर्ष तक रहेगी। इस सम्बन्ध में आपूर्तिकर्ता को विभाग में ₹ 50.00 के स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र देना होगा।
16. आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई **Tractor trolley and Tractor mounted power sprayer** की 3 वर्ष की अवधि के दौरान क्षतिपूर्ति हेतु कायदेश की राशि का 5% Performance Security हेतु बैंक गारण्टी या डी डी श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर में जमा करानी होगी, जिसे गारण्टी अवधि के समाप्त होने पर निस्तारित किया जायेगा।
17. सफल बिडदाता द्वारा बोली प्रतिभूति सम्बन्धित शपथ पत्र, **Tractor trolley and Tractor mounted power sprayer** की गारण्टी (3 वर्ष तक) सम्बन्धित शपथ पत्र एवं 5% Performance Security हेतु बैंक गारण्टी श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर में जमा कराने पर ही बिडदाता को कायदेश जारी किया जायेगा।
18. निविदादाता किसी भी एक आईटम के लिए अथवा दोनों आईटम के लिए निविदा प्रस्तुत कर सकता है

नोट :- बिड के साथ GST पंजीकरण पत्र तथा विनिर्माता/डीलर/अधिकृत विक्रेता के घोषणा पत्र, टर्न ओवर आदि के अभाव में बिड निरस्त की जा सकेगी।



बिडदाता के हस्ताक्षर मय मोहर एवं दिनांक

Tractor trolley and Tractor mounted power sprayer की बिड के लिए निर्धारित शर्तें :-

1. निविदा दो भाग यथा - तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा में होगी। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की वित्तीय निविदा निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी।
2. बिड सूचना में प्रकाशित शर्तें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम-68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 की शर्तें बिड का भाग मानी जाएगी।
3. मूल निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र 'अ' - FB ' में ही बिडदाता अपनी दरें दर्शाएँ। महाविद्यालय प्रपत्र के अतिरिक्त किसी अन्य दस्तावेज पर दी गई दरें मान्य नहीं होगी। फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों का भुगतान महाविद्यालय द्वारा फर्म द्वारा आदेशित मात्रा व निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार आपूर्ति करने पर सामान्यतया एक माह में कर दिया जाएगा अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार का ब्याज या अन्य अतिरिक्त भुगतान नहीं दिया जाएगा।
4. तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा पृथक पृथक लिफाफे में रखकर दोनों निविदा प्रपत्र एक बड़े मुहर बंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाएगी जिसपर Tractor trolley and Tractor mounted power sprayer की आपूर्ति के लिए निविदा अंकित होना चाहिए।
5. बिडदाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। प्रत्येक कार्यादेश/क्रयादेश का कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने एवं विश्वविद्यालय में स्वीकार करने के बाद ही भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।
6. बिडदाता बिड कार्य तथा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर सहित हस्ताक्षर करेगा तथा बिड के अंतिम पृष्ठ पर सभी शर्तों को सम्पूर्ण रूप में स्वीकार करने की सहमति देते हुए अलग से हस्ताक्षर करेगा।
7. बिड प्रपत्र में किसी प्रकार की काँट छॉट व ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। काँट छॉट/ओवर राइटिंग होने पर बिड रद्द की जा सकेगी।
8. किसी भी बिड को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार, अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) को होगा।
9. निर्धारित समय में कार्य सम्पन्न नहीं करने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 एवं राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों व अन्य प्रचलित नियमों के अनुसार राशि वसूल की जाएगी।
10. क्रयादेश/कार्यादेश के अनुसार सामान की आपूर्ति 30 दिवस में करनी होगी।
11. सफल बिडदाता को कार्यादेश प्राप्त करते समय कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) की राशि अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत का कार्यालय में डी.डी. जमा कराना होगा।
12. सफल बिडदाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से सामग्री प्रदाय करने में असफल रहने पर अथवा आपूर्ति/कार्य संतोषजनक नहीं करने पर अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्ज खर्च पर पेनल्टी सहित अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य/आपूर्ति अन्य फर्म से करा सकेंगे। इसके साथ ही कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) जब्त की जा सकेगी, जिसकी घोषणा सफल बिडदाता को ₹ 50/- के शपथ-पत्र पर देनी होगी।
13. समस्त बिड प्रपत्र दिनांक 3 सितम्बर 2025 को दोपहर 1.00 बजे तक अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) से प्राप्त किए जाकर दिनांक 3 सितम्बर 2025 को दोपहर 1.30 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे एवं दिनांक 3 सितम्बर 2025 को दोपहर 3.00 बजे उपस्थित बिडदाताओं के समक्ष खोले जाएंगे। निर्धारित दिनांक व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले बिड प्रपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। बिडदाता द्वारा बोली प्रतिभूति राशि एवं बिड शुल्क की D.D. अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के कार्यालय में दिनांक 3 सितम्बर 2025 दोपहर 1.30 बजे तक जमा करवानी है।
14. उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम-68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के प्रावधानानुसार लागू होगी।
15. विश्वविद्यालय को परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कार्य को एकाधिक फर्मों को आवंटित किए जाने का अधिकार होगा।
16. सफल बिडदाता द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अथवा किसी भी शर्त को पूर्ण नहीं करने पर अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) को यह अधिकार होगा कि कार्य हेतु दिए गए आदेशों को रद्द करते हुए बिडदाता की कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त की जा सकेगी।
17. बिडदाता को यह लिख कर देना होगा कि उसके द्वारा अनुबन्ध अवधि में यदि इस बिड में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड, अन्य स्वायत्तशासी संस्था आदि को सामग्री की आपूर्ति की जाती है तो तदनुसार ही विश्वविद्यालय द्वारा कम दरों पर भुगतान किया जाएगा। इसके लिए Fall clause प्रमाण पत्र प्रपत्र 'द' भी संलग्न करना होगा।
18. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म बिड प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी प्रपत्र 'स' संलग्न है। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी बिड प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की

बोली प्रतिभूति (Bid security)/कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) जब्त करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जा सकेगा।

19. **वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार** — बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :-
- (क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;
- (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा और
- (ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।
20. **सत्यनिष्ठा संहिता** — उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति —
- (क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्त्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।
- (ख) सूचना का ऐसा दुरुपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।
- (ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।
- (घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा।
- (ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।
- (च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।
- (छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।
- (ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।
21. **हित का विरोध** —
- (1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।
- (2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :-
- (क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृत्तिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृत्तिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।
- (ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप और सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।
- (ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।
- (घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जहां उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्यवाहियों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।
- (3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,-

- (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।
- (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;
- (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।
- (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के माफ़त एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।
- (ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

या

- (च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

22. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण – प्रथम अपील प्राधिकारी माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा विश्वविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी होंगे।

1 अपील:- (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्यक्षीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन तक की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व-अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप (प्रपत्र-र) में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जोन का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप-धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यक्षीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप-धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप-धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप-धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों

भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप-धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप-धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा-सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप-धारा (1) और (4) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया-नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

2. अपील का प्रारूप - (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारूप (प्रपत्र - 'र') में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

3. अपील फाइल करने के लिए फीस - (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

4. अपील के निपटारे की प्रक्रिया - (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,-

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

23. किसी भी बिड को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) को होगा।

24. यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।

अधिष्ठाता

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय
जोबनेर (जयपुर)

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों का सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त समस्त शर्तों से प्रतिबंधित रहूँगा/रहेंगे।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

वित्तीय बिड

प्रपत्र 'अ'

S.K.N. COLLEGE OF AGRICULTURE , JOBNER
PIN 303329 Distt. Jaipur (Raj.)

Name of Work:- Supply of Tractor trolleys and Tractor mounted power sprayer

Financial Bid

S.N.	Particulars	Approx. quantity required	Price Per unit (₹)	GST (%)	GST amount(₹)	Total Amount (₹) (4+6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	ट्रैक्टर ट्रॉली- आयाम- 10 फीट x 6 फीट x 1½ फीट, चेसिस चैनल 200 x 75 मिमी (8 x 3 इंच), हेवी ड्यूटी, फर्श 6 मिमी शीट, साइड वॉल 10 गेज मोटी, हाइड्रोलिक जैक- एकल हाइड्रोलिक सिलेंडर, पे लोड-15 टन, एक्सल- एमएस स्कायर 90 x 90 मिमी बोल्ट और चक नट सिस्टम के साथ, नए बेयरिंग उचित ग्रीस के साथ, व्हील रिम-व्हील डिस्क का आकार 10.00-20, भारी शुल्क दो नए टायरों के साथ जिनकी गारंटी कम से कम 3 साल (MRF/CEAT/DUNLOP), 3 x 1½ इंच के 21 सपोर्ट, उचित रेड ऑक्साइड और पेंटिंग के साथ। ISI/BIS सामग्री	2				
2.	ट्रैक्टर mounted पावर स्प्रेयर-पंप यूनिट-हॉरिजेंटल ट्रिप्लेक्स पिस्टन पावर स्प्रेयर, भारी ड्यूटी और कुशल स्प्रेयर, ट्रिप्लेक्स एसएस पिस्टन और ऑयल बाथ लुब्रिकेशन, कपलिंग सेट के साथ, 3 मीटर सक्शन होज़ पाइप, 3 मीटर बाईपास पाइप, 4 इंच आयरन पुली, 56 सेंटीमीटर लंबे पीतल के स्प्रे गन के साथ, होज़ पाइप-100 मीटर, 10 मिमी डिलीवरी पीपीसी होज़ पाइप, पाइप बाइंडर, 500 लीटर एचडीपीई टैंक 10 लेयर की अच्छी गुणवत्ता का, 60x60x5 मिमी आयरन एंगल फ्रेम ट्रैक्टर पीटीओ शाफ्ट के साथ, ऊंचाई 4 फीट	1				

नोट: दोनों आइटम को श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर को सूपदर्गी(FOR)देनी होगी।

मैं/हम ऊपर उल्लेखित दरें प्रस्तुत करने की विनती करते हैं।

हस्ताक्षर निविदाता
निविदाता का पूर्ण पता

बिडदाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए बिड दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/ सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेंट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से जब्त (forfeit) किया जा सकेगा तथा बिड को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।



बिडदाता के हस्ताक्षर

बिडदाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने जिन विभिन्न प्रकार के माल की जहाँ कहीं भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्ति Sub-Standard होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम /कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमें किसी भी न्यायालय द्वारा सामान प्रदायगी में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

बिडदाता के हस्ताक्षर

Fall clause प्रमाण पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने जिन विभिन्न प्रकार के माल की जहाँ कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में प्रश्नगत बिड के क्रम में अनुबन्ध अवधि में इस बिड में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड अन्य स्वायत्तशासी संस्था आदि को विभिन्न प्रकार के माल की आपूर्ति की जाती है तो तदनुसार ही विश्वविद्यालय से कम दरों पर भुगतान प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ।



बिडदाता के हस्ताक्षर

Affidavit**(on non-judicial stamp paper of ₹ 50/-)**

I..... S/o
 Aged..... yrs, residing at Proprietor/Partner/Director of
 M/s do hereby solemnly affirm and declare that

(a) My/our above noted enterprise M/s has been issued
 acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II by the
 District Industries Center.....The acknowledgment No.
 is Dated and has been issued
 for manufacture of following items:

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)
- (v)
- (vi)

- (b) My/our above noted acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum
 Part-II has not been cancelled or withdrawn by the Industries Department and
 that the enterprise is regularly manufacturing the above items.
- (c) My/our enterprise is having all the requisite plant and machinery and is
 fully equipped to manufacture the above noted items.

Signature of proprietor /Director
 Authorized Signatory with Rubber
 Stamp and date

Verification

I..... S/oAged yrs residing at
 Proprietor / Partner/ Director of M/s verify
 and confirm that the contents at (a), (b) and (c) above are true and correct to the best
 of my knowledge and nothing has been concealed there in. So help me God.



Deponent

वित्तीय विवरण

वित्तीय वर्ष	ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार टर्न ओवर (₹)
2022-23	
2023-24	
2024-25	
योग	

औसत टर्न ओवर प्रतिवर्ष


बिडदाता के हस्ताक्षर मय
मोहर एवं दिनांक

FORM NO. 1 [See rule 83 of RTPP]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No.....Of.....

Before the..... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official Address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (S):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:**4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:****5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:****6. Ground of appeal:**

.....

.....

..... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

.....

.....

Place Date

Appellant's Signature

